संख्या-109/2018/1010/26-3-2018-24(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 31 मार्च 2018

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत संलग्नक विवरण के अनुसार विकास कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2737/स0क0/विकास/एकीकृत विकास/55/2017-18 दिनांक-31.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-105/2018/957/26-3-2018-24(विविध)/2018, दिनांक-31.03.2018 द्वारा एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0-3518.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न कार्यो के विवरण तालिका के क्रमांक-24 पर अंकित जनपद-सुल्तानपुर के विकासखण्ड-लम्भुआ के ग्राम सूर्यभान पटटी में सी0सी0रोड, इन्टरलाकिंग आदि कार्यो के लिये धनराशि रू0-221.603 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-221.608 लाख अंकित हो गयी है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक-31.03.2018 के साथ संलग्नक में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-24 पर अंकित जनपद-सुल्तानपुर के विकासखण्ड-लम्भुआ के ग्राम सूर्यभान पटटी में सी0सी0रोड, इन्टरलाकिंग आदि कार्यो के लिये अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि के कालम में रू0-221.608 लाख के स्थान पर रू0-221.603 लाख संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-105/2018/957/26-3-2018-24(विविध)/2018,दिनांक-31.03.2018 के साथ संलग्नक को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। संलग्नक के शेष अंश यथावत रहेंगें।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-109/2018/1010(1)/26-3-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3) उ0प्र0शासन।

3.निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0लखनऊ।

4.सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

5.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

6.निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

7.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

8.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

9.वित्त नियंत्रक, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

10.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

11.सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

12.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

13.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/पंचायतीराज अनुभाग-3 उ0प्र0शासन।

14.गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।